भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *267
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सुविधाएं

***267. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः**
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की विशेषकर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए शीतागारों और परिवहन सुविधाओं की कमी का समाधान करने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं हैं और यदि हां, तो इन सुधारों के लिए संभावित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय कृषि उत्पादों के समय पर परिवहन के लिए संभारतंत्रीय अवसंरचना को बढ़ाने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग कर रहा है/सहयोग करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवसंरचना की कमी के कारण फसल कटाई के बाद हुए नुकसान से किसानों की आय पर कितना प्रभाव पड़ा है और ऐसे नुकसान को कम करने/सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

******

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए"शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सुविधाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *267 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और **(ख) :**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय(एमओएफ़पीआई) देश भर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं लगाने में मदद के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। घटक योजनाओं ,नामत :(i) एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन स्कीम), (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी स्कीम) और (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी स्कीम) - पीएमकेएसवाई का दीर्घकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में घटक के तौर पर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएं (रीफर व्हीकल/इंसुलेटेड वैन) की सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि, ये घटक योजनाएं स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएं लगाने में सपोर्ट नहीं करती हैं। पीएमकेएसवाई की सभी घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं लगाने के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय मदद दी जाती है। यह मदद सामान्य क्षेत्रों से परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों साथ ही, एससीएसटी/, एफ़पीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए 50% है। कोल्ड चेन स्कीम/एपीसी स्कीम, साथ ही ओजी स्कीम के अंतर्गत स्टैंडअलोन परियोजनाओं के मामले में यह राशि अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये और ओजी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत परियोजनाओं के मामले में 15.00 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफ़ डबल्यू) देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है। एमआईडीएच के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के आधार पर पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर ट्रांसपोर्ट, राइपनिंग चैंबर आदि की स्थापना सहित विभिन्न कटाई के बाद की प्रबंधन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एएपी तैयार की जाती हैं। यह योजना मांग/उद्यमी आधारित है और सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी और अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में परियोजना लागत का 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता संबंधित राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, डीए एंड एफ़ डबल्यू के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) एक स्कीम लागू कर रहा है, जिसका नाम है, "कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पाद के स्टोरेज के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी।" इस स्कीम के अंतर्गत, 5000 एमटी से ज़्यादा और 10000 एमटी तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर इलाके के मामले में, 1000 एमटी से ज़्यादा क्षमता वाली यूनिट्स भी वित्तीय मदद के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, डीए एंड एफ़ डबल्यू ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ़) लॉन्च किए हैं। एआईएफ़ के अंतर्गत, और कोल्ड स्टोरेज बनाने समेत फसलोत्तर अवसंरचना बनाने के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलैटरल फ्री टर्म लोन और लिए गए टर्म लोन पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

31.01.2025 तक, डीए एंड एफ़ डबल्यू द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, पूरे देश में 397.08 एलएमटी की कुल क्षमता के साथ 8760 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं । उनका विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न हैं। इस मंत्रालय द्वारा

खेती की पैदावार/प्रसंस्कृत खाद्य को समय पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिकल अवसंरचना को बेहतर बनाने की कार्यनीति विकसित करने के लिए आवश्यकता अनुसार अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) किए जाते हैं। इसके अलावा, एमओएफ़पीआई, पीएमकेएसवाई की कोल्ड चेन स्कीम और ओजी स्कीम जैसी घटक स्कीम के तहत, खेती की पैदावार/ प्रसंस्कृत खाद्य के ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में एक हिस्से के तौर पर लॉजिस्टिकल अवसंरचना (रीफर गाड़ियां/इंसुलेटेड वैन) को सहायता देता है। अब तक, पीएमकेएसवाई के तहत, 1561 रीफर गाड़ियों/इंसुलेटेड वैन को सहायता दी गई है।

(ग): एमओएफ़पीआई ने देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर कटाई और कटाई के बाद के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए दो अध्ययन किए हैं, जिनके नाम हैं (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिफेट), लुधियाना के द्वारा संदर्भ वर्ष 2012-14 के साथ 2015 में "भारत में प्रमुख फसलों और कमोडिटीज़ के कटाई और कटाई के बाद के मात्रात्मक नुकसान का मूल्यांकन", और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नब्स्कोंस) के द्वारा संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ 2022 में भारत में कृषि उत्पादों के कटाई के बाद के नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन। इन अध्ययनों में बताए गए अलग-अलग कृषि उत्पादों के अनुमानित नुकसान का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया हैं। इन अध्ययनों में बताया गया है कि खेती की पैदावार के कटाई के बाद होने वाले नुकसान का एक कारण अवसंरचना सुविधाओं की कमी है। इन अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए,खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन योजनाएं, नामत: (i) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेल्ला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), (ii) केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना(पीएमएफएमई) और (iii) केंद्रीय क्षेत्र की योजना- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) कार्यान्वित करता रहा है।

31.10.2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1619 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इनमें से 1181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं, जिससे हर साल 269.61 लाख एमटी की कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता बनी है, 4,53,829 लोगों को रोज़गार मिला है और 35,77,805 किसानों को फ़ायदा हुआ है। पीएमएफ़एमई स्कीम के अंतर्गत, लगभग 13,230 करोड़ रुपये की सावधि ऋण राशि के साथ 1,62,744 ऋण मंज़ूर किए गए हैं। इसके अलावा, 3,65,935 महिला सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) मेंबर्स के लिए 1244.95 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी सहायता मंज़ूर की गई है। पीएलआईएसएफ़पीआई स्कीम के अंतर्गत, 170 आवेदन मंज़ूर किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों ने ₹9,032 करोड़ के निवेश की रिपोर्ट दी है और ₹2162.55 करोड़ का प्रोत्साहन मिला है। इससे 35.14 लाख एमटी / साल की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता बनी है और 2026-27 तक 2,50,000 के लक्ष्य के मुकाबले 3,40,000 रोज़गार पैदा हुए हैं।इसके अलावा, अलग-अलग उपायों के कारण, 2015 से 2021 की अवधि में अध्ययन के लिए ली गई 45 कमोडिटी में से 42 कमोडिटी में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी देखी गई, जिससे 2021 से हर साल ₹ 20,440.58 करोड़ की बचत हुई।

****

अनुबंध- I

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए"शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सुविधाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *267 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.01.2025 तक देश में राज्यवार सृजित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (क्षमता मीट्रिक टन में) [2025 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार]
1	अंडमान और निकोबार	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

(स्रोत: डायरेक्टरेट ऑफ़ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन (डीएमआई) 2009 तक, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (एनएचबी), नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन (एनएचएम), हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर पूर्वोत्तर एंड हिमालयन स्टेट्स (एचएमएनईएच) और एमओएफ़पीआई)

अनुबंध- II

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए"शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सुविधाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *267 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मुख्य फसलों और कमोडिटीज़ के कटाई के बाद अनुमानित नुकसान का ब्यौरा

फसलें/कमोडिटीज़	**अनुमानित हानि (%)**	
	आईसीएआर-सीआईपीएचईटी अध्ययन (2015) के अनुसार*	**नब्स्कोंस अध्ययन (2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में मुख्य फसलों और कमोडिटीज़ की कटाई और कटाई के बाद के मात्रात्मक नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट, 2015. ** नब्स्कोंस स्टडी 2022

*****